अति महत्वपूर्ण

संख्या–153/पांच–5–2020

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–जिलाधिकारी,
पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज एवं कुशीनगर ।

2–मुख्य चिकित्साधिकारी,
पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज एवं कुशीनगर।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 26 जनवरी, 2020**

विषयः–"नोवेल कोरोना वायरस–2019" से बचाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय सीमा/बॉर्डर चेक पोस्ट पर तैनात इमिग्रेशन अधिकारी/चिकित्सकों/चिकित्साकर्मियों को दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि नेपाल में नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के पाए जाने के दृष्टिगत नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा चौकियों पर विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर बुखार तथा खांसी आदि से पीड़ित ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने विगत एक माह के दौरान चीन का भ्रमण किया हो, की स्क्रीनिंग कराने के लिए सीमा अधिकारियों/आव्रजन अधिकारियों की सहायता हेतु चिकित्सा कर्मियों को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बंधित विभागों के मध्य अंतर्विभागीय समन्वय बैठक कर नेपाल सीमा के साथ लगने वाले सभी जनपदों के अधिकारियों को निम्नलिखित कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित करें तथा स्वयं अनुश्रवण करने का कष्ट करेः–

1. अंतर्राष्ट्रीय सीमा/बॉर्डर चेक पोस्ट पर तैनात इमिग्रेशन अधिकारी चीन से आने वाले यात्रियों से यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
2. यदि यात्रा की जानकारी सकारात्मक है, तो यात्री को लैण्ड पोर्टस अथारिटी ऑफ इण्डिया (Land Ports Authority Of India) के स्वास्थ्य काउंटर पर संदर्भित किया जाएगा।
3. लैण्ड पोर्टस अथारिटी ऑफ इण्डिया हेल्थ काउंटर पर चिकित्सा कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हेल्थ कार्ड भरवाया जाएगा **(संलग्नक–1)**।
4. यदि यात्री संदिग्ध **"नोवेल कोरोना वायरस–2019"** (WHO केस की परिभाषा के अनुसार) की श्रेणी में पाया जाता है तो उसे तत्काल आइसोलेट कर दिया जाएगा और जिला सर्विलांस अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्व निर्धारित चिकित्सालय में भेजा जाएगा।

5. स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार यदि यात्री क्लोज कान्टेक्ट (Close contact) की श्रेणी में आता है, तो चिकित्साकर्मी संबंधित जिला सर्विलांस इकाई, आई0डी0एस0पी0 से समन्वय स्थापित कर ऐसे यात्रियों का विवरण साझा करेंगे। उसके पश्चात जिला सर्विलांस इकाई द्वारा इन यात्रियों का फॉलो–अप किया जाएगा।
6. जिला सर्विलांस इकाई द्वारा राज्य सर्विलांस इकाई के साथ लाइन लिस्ट तत्काल साझा की जाएगी तथा **प्रारूप–ए** में निगरानी हेतु चिन्हित यात्रियों की तत्काल ट्रेसिंग का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।
7. राज्य सर्विलांस इकाई यथा सम्भव उसी कार्य दिवस में जिला सर्विलांस इकाई से संलग्न **प्रारूप–ए** में पूर्ण जांच विवरण प्राप्त कर लिया जाएगा।
8. राज्य सर्विलांस इकाई द्वारा निगरानी में रखे गए यात्रियों का आगमन अथवा अंतिम एक्सपोजर की तिथि से 28 दिनों की अवधि के लिए दैनिक फॉलो–अप सुनिश्चित किया जाएगा।
9. राज्य सर्विलांस इकाई, निगरानी में रखे गए यात्रियों की लाइन लिस्ट को प्रतिदिन संकलित कर, संलग्न **प्रारूप–बी** में यात्रियों/संदिग्धों की दैनिक स्वास्थ्य स्थिति को अद्यतन कर सेन्ट्रल सर्विलांस यूनिट (सी0एस0यू0)/इमरजेन्सी मेडिकल रिस्पान्स डिवीजन (ई0एम0आर0) को प्रतिदिन **प्रारूप–सी** पर उपलब्ध कराएगी।
10. निगरानी में रखे गए किसी भी ऐसे यात्री को जो किसी अन्य राज्य की यात्रा करता है, के विषय में जानकारी संबंधित राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को तत्काल दी जाएगी तथा **प्रारूप–सी** में विवरण अंकित किया जाएगा।
11. यदि कोई यात्री प्रारम्भ से ही अथवा फॉलो–अप के दौरान कभी भी ट्रेस नहीं हो पा रहा है तो उसके विषय में जनपद द्वारा तत्काल राज्य सर्विलांस इकाई को सूचित किया जायेगा जहाँ से यह सूचना सी0एस0यू0 को प्रेषित की जाएगी।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–153(1)/पॉच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त, बरेली, बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर एवं लखनऊ मंडल।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली, बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर एवं लखनऊ मण्डल।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

vijay/GO/COME-3